Prof. Khushbu kumari
Guest Teacher
Dept. of Political science
V.S.J. College, Rajnagar, Madhubani, lnmu

Class- B.A.-I (H)
Paper - II

Topic - कौटिल्य (सप्तांग सिद्धांत)

Lecture - 3

(5) कोष - राज्य की सुरक्षा तथा शासन सम्बन्धी एवं लोक-कल्याणकारी कार्यों के सफल सम्पादन के लिए पर्याप्त संसाधन की आवश्यकता होती है अतः राज्य के अस्तित्व के लिए कोष का महत्व अत्यधिक है कौटिल्य के अनुसार राजा को कोष में वृद्धि के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। उसके कोष में उपलब्ध धान का छठा भाग, स्वर्ण तथा अन्य मूल्यवान पत्थर होने चाहिये। कोष में वृद्धि करते समय राजा को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि वह किसी प्रकार के अधर्म अथवा बल प्रयोग द्वारा प्रजा से कर प्राप्ति नहीं करे।

कौटिल्य ने राजकोष में वृद्धि हेतु छट आधार बताए हैं—

(i) राजकोष में वृद्धि तभी सम्भव है जब राज्य के सभी निवासी पूर्ण रूप से सम्पन्न हों

(ii) निवासियों का आचरण तथा व्यवहार उत्तम तथा शुद्ध हो,

(iii) राज्य की आय तथा सम्पत्ति का अनुचित प्रयोग नहीं हो,

(iv) राजकर्मियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार हो,

(v) राज्य में पर्याप्त अन्न का उत्पादन हो,

Scanned with CamScanner

(v) उद्योग तथा व्यापार पूर्ण विकसित अवस्था में है।

(6) दण्ड — राज्य की सात प्रकृतियों में दण्ड अर्थात् सेना का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अनुसार सेना छह प्रकार की होती है।

(1) मूल सेना — यह राजधानी की रक्षा हेतु रखी जाती है।

(2) मृत्य बल — यह सेना राज्य से नियमित रूप से वेतन प्राप्त करती है।

(3) श्रेणी बल — यह सेना राज्य के विभिन्न प्रदेशों में रखी जाती है।

(4) मित्र बल — यह मित्र-राज्य की सेना है जो युद्ध अथवा संकटकाल में सहायतार्थ प्राप्त होती है।

(5) शत्रु बल — यह शत्रु राज्य की सेना है जो छल-कपट से राज्य में प्रवेश कर जाती है।

(6) अटवी बल — यह जंगलों की सुरक्षा हेतु नियुक्त सेना है।

कौटिल्य ने शस्त्र विद्या में निपुण क्षेत्रीय सेना को सर्वश्रेष्ठ माना है। वीर योद्धाओं से युक्त वैश्य अथवा शूद्रों की सेना को भी उन्होंने उत्तम श्रेणी में रखा है।

(7) मित्र — कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति एवं विकास तथा संकट के समय राज्य के सुरक्षा के लिए मित्र की आवश्यकता होती है। उन्होंने तीन प्रकार के मित्र की चर्चा की है —

(1) प्राकृतिक मित्र — इसके अन्तर्गत राज्य के पड़ोसी राज्य जो

कौटिल्य के अनुसार 'अरि' अर्थात् शत्रु राज्य है, का पड़ोसी राज्य माना है।

(2) सहज मित्र — माता अथवा पिता की ओर से रक्त सम्बन्ध से जुड़े मित्र सहज मित्र की श्रेणी में आते हैं।

(3) कृत्रिम मित्र — धन अथवा जीवन-रक्षा के लिये राजा की शरण में आने वाले कृत्रिम मित्र की श्रेणी में आते हैं।

Khushbu Kumari
26th Sept. 2020

Scanned with CamScanner